

नगर पालिका, नदबई

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/NADBAI/FIRENOC/2025-26/50706
जारी दिनांक: 03-JUN-2025 वैधता दिनांक: 02-JUN-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: AJEETSINGH RANA RANA
आवेदक का पता: LAL KUA ROAD NADBAI BHARATPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHREE KRISHNA JAN SEVA SANSTHAN, 0, LAL KUA ROAD, NADBAI, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा। सम्पूर्ण स्थल की अनापत्ति ली जानी अनिवार्य होगी तथा उक्त अनापत्ति का नवीनीकरण प्रति वर्ष कराया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- समस्त स्टॉफ एवं सिक्वोरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरणों को समयावधि में रिफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या पालिका द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ-जा सके इसके लिये पर्याप्त स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- रोप, लैडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का बिस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- भविष्य में नगरीय निकाय का अगर किसी भी प्रकार का बकाया देय होगा अथवा बकाया नगरीय विकास कर या गृहकर या लीज मनी आदि कोई बकाया होगी तो जमा कराना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के अधीन है और केबल अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- किसी भी प्रकार के न्यायिक प्रकरण में यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।



Signed by: Pawan Kumar Gupta
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: NADBAI, Rajasthan
Date: 03/06/2025 14:24:41

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, नदबई